भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4056
जिसका उत्तर 18 मार्च, 2020 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन

4056. श्री अरुण सावः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छत्तीसगढ़ में उन कोयला खानों/ब्लॉकों की संख्या कितनी है जहां कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन कोयला खदानों को दी गई लीज़ को समाप्त करने का है जो कोयले की अनुपलब्ध्ता के कारण बंद पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस तरह की बंद पड़ी खानों में खनन कार्य शुरू करने के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : छत्तीसगढ़ में 29 कोयला खान/ब्लॉक हैं जहां अब कोयले का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। इन 29 कोयला खानों में 6 कोयला खानों का आवंटन कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के तहत, 4 कोयला खानों का आवंटन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत किया गया है और 19 कोयला खान छत्तीसगढ़ में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है, की हैं।

(ख) और (ग) : एसईसीएल ने कोयले की अनुपबल्धता के कारण बंद कर दी गई कोयला खानों को प्रदत्त खनन पट्टा वापस करने का निर्णय लिया है, ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	खान का नाम	वापस की जाने वाली भूमि का प्रकार	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	वेस्ट चिरीमिरी ओसी	गैर-वन भूमि	586.000
2.	नॉर्थ चिरीमिरी ओसी	वन भूमि	227.000

(घ) : जिन खानों में पर्याप्त भंडार हैं, उनका विस्तार से अध्ययन किया जाता है और तत्पश्चात् उन खानों के लिए प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता के आधार पर शेष भंडार के उत्खनन के लिए **ओपनकास्ट पद्धति द्वारा यूजी भंडार के उत्खनन की तकनीक(प्रौद्योगिकी)** अपनाई जाती है।

(ङ) : हाल ही में, एसईसीएल ने यूजी कोयला भंडार के उत्खनन के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई है:-

i. धरम यूजी खान : यूजी भंडार का उत्खनन चाल ओपनकास्ट खान द्वारा करने का प्रस्ताव किया गया है।
ii. महामाया यूजी खान **:** यूजी भंडार का उत्खनन ओपनकास्ट पद्धति से करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए 1.50 मि.ट.व. क्षमता की परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गई है।

****